

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जुलाई 2016—आषाढ़ 20, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्र. एफ-बी-1-18-2016-2-पांच (17).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 8 तथा 10 सहपठित धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (मध्यप्रदेश) नियम, 1985 के नियम 37-क के अधीन बनाए गए “पोस्त भूसा (पापीस्ट्रा) नियम” को निरसित करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्र. बी-1-18-2016-2-पांच (17).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-18-2016-2-पांच (17), दिनांक 11 जुलाई, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 11th July, 2016

No. F-B-1-18-2016-2-V-(17).—In exercise of the powers conferred by Section 78 read with Section 8 and 10 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, hereby, repeales the “Poppy Straw Rules” made under rule 37-A of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Madhya Pradesh) Rules, 1985.

2. This notification shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> April, 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.